न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 05/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/80

अनवान

1. बद्री पिता गिरधारी रेबारी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द सिंह चुण्डावत – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 16.09.2025

1. पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 225/2 रकबा 2 बीघा भूमि स्थित होकर दर्ज रेकार्ड है प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 तक की प्रस्तुत की है उक्त भूमि प्रार्थी को दिनांक 13.02.1983 को अलोट हुई अलोटमेन्ट आदेश, इन्तकाल की प्रमाणित प्रति पेश है।
2. उक्त साबिक आराजियात के हाल नम्बर 333 रकबा 0.43 है0 गै.मु. मंगरी अंकित दर्ज रेकार्ड है। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं कर्मचारियो को साबिक रेकार्ड एवं साबिक नक्शे के अनुरूप साबिक आराजी का रकबा तो सही बनाया गया किन्तु साबिक नक्शा हाल नक्शा नही बना कर पूर्व से पश्चिम की ओर नम्बर दर्शा दिया जबकि अलोटमेन्ट के समय सिपूर्दगी के समय हाल नम्बर 331 के लगता हुआ उत्तर से दक्षिण की तरफ लम्बा था। साबिक नम्बर 225/3 के लगता हुआ साबिक नम्बर 226 था जिसके हाल नम्बर 335 रकबा 0.15 है0, बने है से लगता हुआ बता रखा है बिच में हाल नम्बर 805/334 हाल नक्शे में अंकित है।
3. अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 325/3 रकबा 2 बीघा के साबिक नक्शे कब्जा सिपूर्दगी अलोटमेन्ट के समय अनुसार हाल आराजी संख्या 333 रकबा 0.43 है0, 331 से लगता हुआ उत्तर से दक्षिण की तरफ लम्बा था पूर्व से पश्चिम की और से चौड़ा नही था, साबिक नम्बर 225/3 के लगता हुआ साविक नम्बर 226 अंकित था जिसके हाल नम्बर 335 रकबा 0.15 है0 बने है से लगता हुआ बता रखा है बिच में हाल नम्बर 805/334 हाल नक्शे में अंकित है। इसलिए हाल नक्शे में 333 पूर्व से पश्चिम लम्बा बता रखा है उसे कम कर 805/334 में 331 के किनारे किनारे फिट करा 335 के उत्तर की सीमा तक दर्शाया जाने का आदेश हाल राजस्व रेकार्ड और नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

4. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में में विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

5. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मियाला में प्रार्थी ब्रदी पिता गिरधारी रेबारी के भूप्रबन्ध से पूर्व जमाबन्दी ग्राम मियाला के संवत 2049–2052 के खाता संख्या 148 पर खाता संख्या 148 पर खसरा संख्या 225/3 रकबा 2 बीघा किस्म मंगरी दर्ज रेकार्ड थी जिसका सेटलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा संख्या 333 रकबा 0.43 है0 किस्म गे.मु. मंगरी कायम किये गये जो प्रार्थी के नाम वर्तमान रेकार्ड में दर्ज है। खसरा सख्या 333 रकबा 0.43 है0 मौके पर खाली पड़त पड़ी हुई है तथा प्रार्थी का वर्तमान में कब्जा मौके पर खसरा संख्या 805/334 रकबा 0.65 है0 किस्म गै.मु. मंगरी मे से 0.30 है0 पर तथा शेष आराजी संख्या 334 रकबा 0.73 है0 मे से 0.13 है0 पर होना बताया गया। रेकार्ड में खसरा संख्या 805/334 रकबा 0.65 है0 गै. मु. मंगरी ग्राम पंचायत बागड़ के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा खसरा संख्या 334 रकबा 0.73 है0 किस्म गै.मु. मंगरी बिलानमा दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का जिस जगह पर कब्जा होना बताया उस खसरा संख्या 805/334 में माताजी का स्थान व सी.सी. रास्ता बना हुआ है तथा ग्राम पंचायत के नाम दर्ज होने से ग्राम पंचायत बागड़ को आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया तथा खसरा संख्या 334 रकबा 0.73 है0 किस्म गै.मु.मंगरी बिलानाम सरकार दर्ज होने से राजहित प्रभावित होता है। ग्राम पंचायत को आवश्यक पक्षकार नही बनाने व राजहित प्रभावित होने से प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

6. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में राजहित प्रभावित होना बताया गया है एवं प्रार्थी वर्तमान में ग्राम पंचायत की भूमि पर भी काबिज है जिससे ग्राम पंचायत को पक्षकार संयोजित किया जाना था परन्तु प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार संयोजित नही किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 131 में अन्तर्गत तरमीम दुरस्ती का प्रावधान है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटी के प्रकरणो का निर्णय किया जाता है परन्तु इस प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटी नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिविरूद्व होने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के विधिविरूद्व होने से खारीज किया जाता है कि प्रार्थी सक्षम धारा में न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद दायर कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
(एस.डी.ओ.) रायपुर